**न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज**

**बंटवारा वाद सं0–47/2016**

प्रेमा देवी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

पार्वती देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| DATE | ORDER | REMARKS |
|---|---|---|
| **17.02.2026** | उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादीगण की तरफ से एक आवेदन दिनांक 24.06.2025 अंदर आदेश 39 नियम 01 वो 02 और धारा 151 व्य0 प्र0 सं0 के अंतर्गत दाखिल किया गया है तथा वादीगण द्वारा आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 20.08.2025 को दाखिल किया गया। प्रतिवादीगण का आवेदन दिनांक 24.06.2025 आज दिनांक 17.02.2026 को आदेश हेतु नियत है।<br>प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि वादीगण द्वारा उपरोक्त मुकदमा वादपत्र के मद सं0–02 व 03 में दी गई भूमि में अपना हिस्सा बताकर 2/3 अंश के लिए दाखिल किया है जिसमें प्रतिवादीगण उपस्थित होकर अपना ब्यान–तहरीरी दे चुके हैं व संघर्ष कर रहे हैं। बाबूलाल बैठा व हीरालाल बैठा के बीच कुल पारिवारिक जायजाद का बंटवारा वर्ष 1990 में जुबानी हो गया व उसके सन्दर्भ में कोरा बंटवारा दिनांक 21–05–1995 को तैयार हुआ। बाबूलाल बैठा अपना कुल हिस्सा बिक्री कर चुके हैं व बंटवारा तलब जायजाद हीरालाल बैठा के हिस्से की भूमि है जिसपर फिदवी प्रतिवादीण शांतिपूर्ण हकियत व कब्जा में चले आ रहे हैं। फिदवी प्रतिवादीण द्वारा अपना ब्यान–तहरीरी दिनांक 27–02–2017 को दाखिल किया है उसमें किये गये कथन को भी इस इम्तनाई आवेदन का अंश समझा जाय ताकि पुनः तथ्यों को दुहराना न पड़े। वादीगण वादग्रस्त भूमि पर बंटवारा का मुकदमा कर अपना हिस्सा की मांग कर रहे है तो इसी बीच वादग्रस्त भूमि बिक्री करने हेतु ग्राहक तलाश कर रहे थे जिसको देखते हुए प्रतिवादी ने एक इम्तनाई आवेदन दिनांक 21–10–2020 को दाखिल कर वादग्रस्त भूमि के किसी अंश पर हस्तान्तरण पर रोक लगाने का निवेदन किया था जिसका कारण–पृच्छा प्रतिवादी ने दिनांक 03–11–2020 को दाखिल किया जिसके कंडिका 05 बिक्री करने की बात को निराधार बताया व खुले न्यायालय में बिक्री नहीं करने का कथन किया तत्पश्चात उपरोक्त आवेदन प्रचलित नहीं किया गया। वादीगण प्रतिवादीण को परेशान करने के नियत से वादग्रस्त भूमि का अंश के निरस्त एक किता बयनामा दिनांक 18–08–2023 वो दो किता बयनामा दस्तावेज दिनांक 24–05–2025 पन्ना सोना देवी बनाम छोटेलाल बैठा वो सोना देवी बनाम मनीर खान निष्पादित | |

**<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>**

**<u>बंटवारा वाद सं0–47/2016</u>**

प्रेमा देवी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

पार्वती देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| | | |
|---|---|---|
| **लगातार 17.02.2026** | किया है जिसकी सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति न्यायालय के अवलोकनार्थ दाखिल किया गया है। छोटेलाल बैठा वादी की ओर से अपना साक्ष्य दिये व साजिश कर उपरोक्त दोनों किता बयनामा खड़ा किये हैं। वादीगण वादग्रस्त भूमि के अन्य अंश हस्तान्तरण हेतु ग्राहक की तलाश में है व वे कभी भी पुनः हस्तान्तरण विलेख निष्पादित कर सकती है। लिहाजा यह आवश्यक है कि इम्तनाई का आदेश पारित कर मुदईयान को वादग्रस्त भूमि के किसी अंश के निरस्त हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करने से रोका जाय। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया वाद व सुविधा की तुला प्रतिवादीण के पक्ष में है अगर वादीगण को वादग्रस्त भूमि के संबंध में हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करने से नहीं रोका गया तो प्रतिवादीण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण को वादग्रस्त भूमि मुन्दर्जे मद सं0–02 वो 03 के संदर्भ में किसी तरह का हस्तांतरण विलेख निष्पादित करने से मोकदमा के अन्तिम फैसला तक रोक लगाने की कृपा की जाए।<br>वादीगण के द्वारा वादीगण के आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 20.08.2025 को दाखिल किया गया एवं निवेदन किया गया कि वर्तमान प्रश्नगत निषेधाज्ञा आवेदन तथ्य एवं कानून दोनों ही दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं है बल्कि सर्वथा खारिज योग्य है। प्रतिवादी राजेश बैठा विद्वेषपूर्ण नियत के साथ वर्तमान निषेधाज्ञा आवेदन दाखिल किया है ताकि वादीगण को आरोपित करके न्यायालय से निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त किया जाए और निषेधाज्ञा आदेश के आड़ में विवादित भूमि से वादीगण को बेदखल करके अवैध कब्जा किया जाय। वर्तमान वाद में पांच प्रतिवादी है परन्तु एक प्रतिवादी द्वारा वर्तमान आवेदन दाखिल है जो खारिज योग्य है। आवेदन पत्र की कंडिका 01 व 02 का कथन सही है परन्तु आवेदन पत्र की कंडिका 03 का कथन सर्वथा गलत, झूठ एवं बनावटी है। यह कहना गलत है कि बाबूराम बैठा व हीरामन बैठा के बीच कुल पारिवारिक जायजाद का जुबानी बंटवारा वर्ष 1990 में हो चुका था। प्रतिवादी का यह भी कहना गलत है कि उक्त बंटवारा के सबूत में कोरा बंटवारा दिनांक 21.05.1995 में तैयार हुआ। प्रतिवादी का यह भी कहना गलत है कि बाबूराम बैठा अपना कुल हिस्से की भूमि बिक्री कर चुके है। प्रतिवादी का यह भी कहना गलत है कि बंटवारा तलब एरजी हीरामन बैठा की भूमि है व उनके दखल कब्जा की भूमि है। | |

**न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज**

**बंटवारा वाद सं0–47/2016**

प्रेमा देवी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

पार्वती देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| | | |
|---|---|---|
| **लगातार 17.02.2026** | यह कि आवेदन पत्र की कंडिका 04 का कथन औपचारिक है। परन्तु वादीगण का कहना है कि प्रतिवादीगण का उत्तर पत्र दिनांक 27.02.2017 बिल्कुल झूठा, बनावटी व आधारहीन है। आवेदन पत्र की कंडिका 05 का कथन अंशतः सही व अंशतः गलत है। प्रतिवादी का कहना गलत है कि वादीगण ने विवादित भूमि बिक्री नहीं करने का कथन किया था। आवेदन पत्र की कंडिका 06 का कथन अंशतः सही है व अंशतः गलत है। यह सही है कि वादी दिनांक 24.05.2025 को बैयनामा दस्तावेज लिखा है परन्तु प्रतिवादीगण का यह कहना गलत है कि प्रतिवादीगण को परेशान करने के नियत से वादग्रस्त भूमि का अंश बिक्री किया है। बिक्री की गयी भूमि वादीगण के दखल कब्जा की भूमि है। फलतः प्रतिवादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया वाद एवं सुविधा का संतुलन नहीं है। आवेदन पत्र की कंडिका 07 एवं 08 का कथन गलत है। प्रतिवादीगण का यह कथन गलत है कि वादीगण वादग्रस्त भूमि के अन्य अंश हस्तान्तरण हेतु ग्राहक की तलाश में है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनों ही पक्ष बिरबल बैठा के वारिसान है। बिरबल बैठा अपने एक पुत्र बाबूराम बैठा को छोड़कर मरे। बाबूराम बैठा अपने पीछे अपनी दूसरी पत्नी सोना देवी व एक लड़का हीरामन बैठा व एक पुत्री प्रेमा देवी को छोड़कर मरे। बाबूराम बैठा को उनके पिता बिरबल बैठा से रकबा 15 कठ्ठा 18 धूर खरीदगी भूमि व रकबादृ 76 डी0 भूमि बंदोबस्ती से हासिल थी जिसमें से बाबूराम बैठा रकबा 06 कठ्ठा 16 धूर भूमि बिक्री कर दिये। बाबूराम बैठा के पास खरीदगी एरजी में से 09 कठ्ठा 02 धूर एवं बंदोबस्ती वाली कुल एरजी 76 डी0 भूमि बची जिसका पक्षकारों के बीच बंटवारा हेतु वर्तमान वाद लाया गया है। आवेदन पत्र की कंडिका 09 का कथन असत्य, झूठ एवं मनगढ़ंत है। वादीगण का वाद पूर्णतः पोषणीय है तथा वादीगण अपने दखल कब्जा की भूमि पर काबिज हैं। प्रतिवादीगण का इस भूमि पर कोई अधिकार, शीर्षक या हित नहीं है। वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला सुदृढ़ है तथा वादीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन है। यदि प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का निषेधाज्ञा आदेश प्रदान किया जाता है तो इससे वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा वादीगण अपने वैध अधिकार से वंचित हो जाएंगे। प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दुर्भावना से प्रेरित है तथा वादीगण को परेशान करने एवं न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के उद्देश्य से दाखिल किया गया है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है | |

**<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>**

**<u>बंटवारा वाद सं0–47/2016</u>**

प्रेमा देवी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

पार्वती देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| | | |
|---|---|---|
| **लगातार 17.02.2026** | कि प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 24.06.2025 को खारिज करने की कृपा की जाए।<br>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादीगण की तरफ से एक आवेदन दिनांक 24.06.2025 अंदर आदेश 39 नियम 01 वो 02 और धारा 151 व्य0 प्र0 सं0 के अंतर्गत दाखिल किया गया एवं निवेदन किया गया है कि वादीगण को वादग्रस्त भूमि मुन्दर्जे मद सं0–02 वो 03 के संदर्भ में किसी तरह का हस्तांतरण विलेख निष्पादित करने से मोकदमा के अन्तिम फैसला तक रोक लगाया जाए। दुसरी तरफ वादीगण ने अपने प्रतिउत्तर दिनांक 20.08.2025 में निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दुर्भावना से प्रेरित है तथा वादीगण को परेशान करने एवं न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के उद्देश्य से दाखिल किया गया है। अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित होता है कि वादग्रस्त भूमि का अंश के निरस्त एक किता बयनामा दिनांक 18–08–2023 वो दो किता बयनामा दस्तावेज दिनांक 24–05–2025 पन्ना सोना देवी बनाम छोटेलाल बैठा वो सोना देवी बनाम मनीर खान निष्पादित किया है जिसकी सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति न्यायालय के अवलोकनार्थ दाखिल किया गया है। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि यह वाद वादी द्वारा उभय पक्षों के बीच बंटवारा हेतु लाया गया है। अतः न्यायहित में प्रतिवादीगण का आवेदन दिनांक 24.06.2025 को स्वीकृत किया जाता है और वाद के निष्पादन तक मद सं0–02 वो 03 के संदर्भ में किसी तरह का हस्तांतरण विलेख निष्पादित करने से वादीगण को रोक लगाया जाता है।<br>वाद दिनांक 10.03.2026 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत किया जाता है।<br><br>(लेखापित)<br><br>अवर न्यायाधीश–1<br>नरकटियागंज | |